हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय

न्यू सेन्ट्रल होप टाउन, बायॉखाला, शीशमबाडा देहरादून,
पिन– 248011 उत्तराखण्ड, भारत
वेवसाईट:www.hnbumu.ac.in

नीट पी0जी0, 2023 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग की स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी चरण काउन्सिलिंग चरणों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश एवं नियम व शर्तें

1. स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी चरण की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अर्हता

नीट पी0जी0 2023 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग की Stray Vacancy round काउन्सिलिंग में इच्छुक अर्ह निम्न अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते है:–

1. प्रथम /द्वितीय/तृतीय/स्ट्रे चरण में पंजीकृत ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे चारो चरण की काउन्सिलिंग में कोई भी सीट आवंटित नही हुयी हो।
2. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने प्रथम/द्वितीय/तृतीय/स्ट्रे चरण काउन्सिलिंग में पंजीकरण न कराया हो और स्ट्रै वैकन्सी चरण में सीट आवंटन हेतु प्रतिभाग करना चाहते हों।

2. स्पेशल स्ट्रे वेकैसी चरण में प्रतिभाग करने हेतु निम्न छात्र अर्ह नही होगे:–

- जिन अभ्यर्थियों द्वारा नीट पी0जी0 2023 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग के प्रथम/द्वितीय चरण/तृतीय काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित सीट पर निर्धारित समयान्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर अपना प्रवेश सुरक्षित करा लिया गया है।
- जिन अभ्यर्थियों द्वारा एम0सी0सी0 भारत सरकार द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित सीट पर निर्धारित समयान्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर अपना प्रवेश सुरक्षित करा लिया गया है।
- जिन अभ्यर्थियों को स्ट्रै चरण काउन्सिलिंग में सीट आवंटित हुयी है ओर अभ्यर्थियों द्वारा समय पर आवंटित संस्थान में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण नही की गयी है।

3. आवेदन प्रक्रिया (केवल ऑन–लाईन आधार पर)

1. Special Stray Vacancy round में प्रतिभाग करने हेतु प्रत्येक इच्छुक अर्ह अभ्यर्थी को पंजीकरण धनराशि (रुपया 4500/–) केवल आन–लाईन प्रणाली (Credit/Debit Card/Net banking) के आधार पर आन–लाईन जमा करनी अनिवार्य होगी।
2. जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम/द्वितीय/स्ट्रै चरण काउन्सिलिंग में पंजीकरण शुल्क तथा धरोहर राशि दोनो जमा की गई है, यदि वे Special Stray Vacancy round काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो उन्हे विश्वविद्यालय की वैबसाईट www.hnbumu.ac.in पर जाकर पंजीकृत आई–डी के माध्यम, पंजीकरण करवाना होगा ऐसे अभ्यर्थियों को दोबारा धरोहर राशि जमा नही करनी होगी।
3. जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्ट्रे चरण में पंजीकरण शुल्क तथा धरोहर राशि दोनो ही जमा नही किये गये है, वे निर्देशानुसार पंजीकरण शुल्क तथा धरोहर राशि दोनो ही जमा कर, पंजीकरण करवाकर आन–लाईन आवेदन फार्म भर कर Special Stray Vacancy round काउन्सिलिंग में प्रतिभाग कर सकते है।
4. जिन अभ्यर्थियों की नियमानुसार धरोहर राशि जब्त की गयी है वे अर्ह अभ्यर्थी दोबारा से धरोहर राशि जमा करवाकर काउन्सिलिंग में प्रतिभाग कर सकतें है।
5. धरोहर राशि पाठ्यक्रवार/संस्थानवार विवरण विश्वविद्यालय की बैवसाईट पर पृथक से अपलोड किया गया है

6. Special Stray Vacancy round काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु प्रत्येक इच्छुक अर्ह अभ्यर्थियों को निर्धारित समयावधि में पंजीकरण/पुनः पंजीकरण करने के उपरान्त आन–लाईन आवेदन फार्म को भरते हुये समस्त वाछित सूचना, नवीन च्वाईस फिंलीग एवं च्वाईस लॉक (Choice lock) करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा में वे स्पेशल स्ट्रै चरण काउन्सिलिंग में काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा सीट आवंटन हेतु अर्ह नही माने जायेगें।
7. पूर्व में प्रथम/द्वितीय/तृतीय/स्ट्रे चरण में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी च्वाईस फिंलीग स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी। अतः Special Stray Vacancy round काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु प्रत्येक इच्छुक अर्ह अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे Special Stray Vacancy round हेतु निर्धारित समयावधि में उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया को अनिवार्य रुप से पूर्ण कर लेवें।
8. अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण रुप से आवेदन फॉर्म भरने के उपरान्त उसका प्रिन्ट आउट निकाल कर अपने पास अनिवार्य रुप से सुरक्षित रखना होगा। भविष्य मे आवेदन के सन्दर्भ में किसी भी पृच्छा/जानकारी अथवा प्रकरण का निस्तारण इस आवेदन फॉर्म के प्रिन्ट आउट के आधार पर ही काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा किया जायेगा।
9. अभ्यर्थी काउन्सिलिंग की प्रक्रिया की समय सारणी के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि में वांछित परिवर्तन कर सकता है, तद्पश्चात अभ्यर्थी को च्वाईस को LOCK किया जाना होगा। आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त किसी भी परिस्थिति में कोई भी परिवर्ततन किसी भी स्तर पर नहीं किया जायेगा।
10. यदि ऑन–लाईन आवेदन फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी द्वारा च्वाईस फिंलिग करने के उपरान्त LOCK नही किया जाता है, तो अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी च्वाईस को ऑन–लाईन प्रणाली द्वारा निर्धारित समयावधि उपरान्त स्वतः ही LOCK कर दिया जायेगा तथा यह माना/समझा जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा सीट आवंटन हेतु यही च्वाईस भरी गयी है।
11. अभ्यर्थी ऑन–लाईन आवेदन फॉर्म भरते समय चयनित कोटे (राज्य कोटा/ऑल इण्डिया–मैनेजमेन्ट कोटा) के आधार पर चयन हेतु उपलब्ध समस्त सीटो में से अपनी च्वाईस के अनुसार प्राथमिकता के क्रम में जितनी भी चाहे सीटो का विकल्प चयन कर सकते हैं।
12. अभ्यर्थियों हेतु काउन्सिलिंग में सम्मिलित प्रत्येक संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया गया विस्तृत शुल्क विवरण विश्वविद्यालय की वैबसाईट के पृथक लिंक पर अपलोड किया गया है। **अतः अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे सीटों का विकल्प चयन करने से पूर्व संबंधित कॉलेज के शुल्क, बॉण्ड संबंधी नियम, सीटों की मान्यता की स्थिति आदि के बारे में संबंधित संस्थान से सम्पर्क स्थापित कर सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें तथा संतुष्ट हो लें। छात्र द्वारा चयन किये संस्थान/सीट/पाठ्यक्रम के विकल्प हेतु वह स्वयं उत्तरदायी होगा, विश्वविद्यालय/काउन्सिलिंग बोर्ड का कोई भी उत्तरदायित्व नही होगा।**
13. Stray Vacancy round में काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा सीट आवंटन उपरोक्तानुसार निर्धारित नियम/प्रक्रियानुसार पंजीकृत हुये अभ्यर्थियों को उनकी मैरिट, अर्हता एवं भरी गयी च्वाईस (विकल्प) के आधार पर किया जायेगा।
14. उत्तराखंड में अनिवार्य सेवा के लिए पहले से ही बांड के तहत उम्मीदवारों को बांड में उल्लिखित या राज्य सरकार, डीजीएच एंड एफडब्ल्यू, उत्तराखंड और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करना होगा। काउंसलिंग बोर्ड/विश्वविद्यालय ऐसे बांड या सेवा शर्तों से संबंधित मामले से उत्पन्न होने वाले किसी भी कानूनी मुद्दे के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
15. उत्तराखंड राज्य/अन्य राज्यों/केंद्र सरकार/पीएसयू आदि के सेवारत अभ्यर्थियों को भी अपनी सेवा नियमावली में उल्लिखित शर्तों को पूरा करना होगा।

4. संस्थानवार सीट मैट्रिक्स

1. संस्थानवार सीटों का कोटेवार (राज्य कोटा तथा ऑल–इण्डिया–मैनेजमेन्ट कोटा) सीट मैट्रिक्स विश्वविद्यालय की वैबसाईट के पृथक लिंक पर उपलब्ध है।
2. Special Stray Vacancy round की काउंसिलिंग में संस्थानवार सीटों को विवरणिका में दिये गये नियमानुसार परिवर्तित किया जायेगा, इसके आधार पर ही अंतिम आवंटन प्रकाशित किया जायेगा।

5. शुल्क विवरण

काउन्सिलिंग में सम्मिलित प्रत्येक संस्थान का संबंधित कॉलेज द्वारा उपलब्ध विस्तृत शुल्क विवरण विश्वविद्यालय की वैबसाईट के पृथक लिंक पर अपलोड किया गया है।

6. आरक्षण

1. Special Stray Vacancy round काउन्सिलिंग मे पंजीकृत हुये अर्ह अभ्यर्थियों को राज्यकोटे की उपलब्ध सीटों में विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण (उर्ध्व एवं क्षैतिज) उत्तराखण्ड राज्य की काउंसिलिंग की तिथि को प्रचलित/स्थापित नीति एवं निर्णयों के अनुसार अनुमन्य होगा।
2. किसी भी प्रकार के श्रेणी/उपश्रेणी का लाभ केवल उत्तराखण्ड राज्य के मूल/स्थाई निवासी को ही अनुमन्य होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को संबंधित आरक्षण श्रेणी/उपश्रेणी लाभ प्राप्त करने के लिये उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार केवल उत्तराखण्ड शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत, काउॅन्सिलिंग एवं प्रवेश की तिथि को मान्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा में उसे सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। संबंधित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी का केवल अभ्यर्थी के पक्ष/नाम पर निर्गत प्रमाण ही मान्य होगा।
3. ओ0बी0सी0 जाति का प्रमाण पत्र काउंन्सिलिंग एवं संस्थान में प्रवेश की तिथि तक मान्य/वैध (valid) होना चाहिए। शासनादेश संख्या 310/XVII-2/16–02 (ओ0बी0सी0)/2012 दिनांक 21.02.2016 के अनुसार ओ0बी0सी0 जाति का प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से केवल तीन वर्ष तक ही वैध (valid) होता है। अतः ओ0बी0सी0 श्रेणी के अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वें अपने जाति प्रमाण पत्र की मान्यता/वैधता (validity) को भली–भाति जांच लें। अमान्य (invalid) ओ0बी0सी0 जाति प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
4. शासनादेश संख्या 570/कार्मिक–2/2004 दिनांक 22 मई, 2004 के क्रम में उपश्रेणी (**DPW**) **हेतु** आरक्षित सीटों का लाभ उत्तराखण्ड के निवासी केवल भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए तथा युद्ध में शहीद सैनिकों के पुत्र एवं पुत्रियों को ही अनुमन्य होगा। वर्तमान में सेना (थल, वायु एवं जल सेना) में कार्यरत सैनिको के आश्रितो को उक्त उप श्रेणी के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा तथा पैरामिलिट्री Paramilitary Forces के आश्रितो को उक्त उप श्रेणी के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
5. आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 123/XXX(2)/2020-30(1)/2020 दिनांक 29 अप्रैल, 2020 तथा विधायी एवं ससंदीय कार्यविभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 64/XXXVI(3)/2020/20(1)/2020 दिनांक 07 मार्च 2020 पर निर्धारित नियम/शर्तो/प्रतिबन्धो के आधार पर ही दिया जायेगा। इस हेतु अभ्यर्थी के पक्ष में उत्तराखण्ड सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत नवीनतम प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
6. विकलांग श्रेणी हेतु आरक्षित सीटों के सापेक्ष प्रवेश लेने हेतु इच्छुक अर्ह अभ्यर्थी को महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में गठित विशेष राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करना होगा। उक्त विशेष राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड के स्थान एवं तिथि के संबंध में सूचना विश्वविद्यालय की वैबसाईट पर पृथक से अपलोड की जायेगी। विकलाग श्रेणी हेतु आरक्षित सीटों के संबंध में नीट पी0जी0 2023 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग हेतु प्रकाशित Information bulletin में निर्धारित नियम व शर्ते यथावत लागू रहेगी। संबंधित श्रेणी के आरक्षण का लाभ लेने के इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे Information bulletin का भली–भॉति अध्ययन कर लेवें।
7. **किसी आरक्षित श्रेणी एवं उप श्रेणी/ कोटे का अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में सीट रिक्त रहने/होने पर ऐसी सीटों को नियमानुसार परिवर्तित (convert) कर भरा जायेगा, आन–लाईन च्वाईस फिलिंग में सीटों का उल्लेख होगा।**

8. प्रवेश प्रक्रिया

1. Stray Vacancy round में बोर्ड द्वारा आवंटित सीटों पर निर्धारित समायन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने संबंधी विस्तृत जानकारी स्ट्रै चरण की काउन्सिलिंग के सीट आवंटन सूची निर्गत होने के उपरांत विश्वविद्यालय की वैबसाईट पर छात्रों हेतु पृथक से अपलोड की जायेगी।
2. **आवटित सीट पर प्रवेश सुरक्षित करने हेतु संबंधित छात्र को आंवटित संस्थान में व्यक्तिगत रुप में उपस्थित होकर अपने समस्त वांछित अभिलेख (मूल में) प्रस्तुत एवं जमा करने अनिवार्य होगें, अन्यथा**

की दशा में वे प्रवेश हेतु अर्ह नही होगें। एक बार प्रवेश लेने के उपरान्त अभ्यर्थियों को प्रवेशित सीट को बोर्ड द्वारा निर्धारित तिथि तक छोडने की अनुमति होगी।

9. विविध

1. Special Stray Vacancy round की काउन्सिलिंग में आवंटित सीट पर यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश नहीं लेता है तो मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार/एम0सी0सी0 के निर्देशों के क्रम में ऐसे अभ्यर्थी को नीट पी0जी0 प्रवेश परीक्षा से एक वर्ष हेतु प्रतिवारित कर दिया जायेगा तथा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
2. विस्तृत जानकारी हेतु नीट पी0जी0 2023 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग हेतु प्रकाशित **Information Bulletin** का पुनः अध्ययन कर लेवें।
3. काउन्सिलिंग समय–सारणी में परिर्वतन का अधिकार काउन्सिलिंग बोर्ड के पास सुरक्षित रहेगा। भारत सरकार/एम0सी0सी0/एन0एम0सी0/डी0सी0आई0/मा0 न्यायालय के निर्देशानुसार इस काउन्सिलिंग समय–सारणी में परिवर्तन किया जा सकता है जिसे विश्वविद्यालय की वैबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा।
4. काउंसलिंग की नवीनतम जानकारी और प्रक्रिया सरकार से प्राप्त निर्देशों/सलाहों के आधार पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। भारत सरकार, चिकित्सा परामर्श समिति, एनएमसी, उत्तराखंड सरकार समय–समय पर। उत्तराखण्ड नीट–पीजी काउंसलिंग बोर्ड द्वारा वेबसाइट पर अपलोड किए गए नवीनतम निर्देश केवल लागू होंगे और सूचना बुलेटिन में उल्लिखित ऐसी किसी भी शर्त/ नियम को प्रतिस्थापित करेंगे। उत्तराखण्ड नीट पी0जी0 काउंसलिंग बोर्ड द्वारा काउंसलिंग की प्रक्रिया से संबंधित लिया गया निर्णय हर समय लागू होगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अपडेट के लिए नियमित रूप से विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखते रहें। अभ्यर्थी को अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जायेगी।

नोटिस प्रकाशन तिथिः– 21.11.2023

सदस्य सचिव
नीट पी0जी0 2023
उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग